



मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि०

(राज्य शासन का उपक्रम)

“ऊर्जा भवन”, मेन रोड नं. 2, शिवाजी नगर, भोपाल

विकास खण्ड.....जिलामें निजी अक्षय ऊर्जा शॉप की स्थापना हेतु आवेदन
पत्र एवं विवरण

// आवेदन पत्र //

| | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1 | आवेदक का नाम | |
| 2 | आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (दस्तावेज संलग्न करें) | |
| 3 | शॉप का नाम एवं लोकेशन (मार्केट का पता) | |
| 4 | शॉप का विवरण (स्वयं/किराये पर/लीज पर) (दस्तावेज संलग्न करें) | |
| 5 | क्षेत्रफल.....(नक्शा इत्यादि) | वर्गफिट |
| 6 | भंडारण क्षमता.....(नक्शा इत्यादि) | वर्गफिट |
| 7 | पूर्व वर्ष में टर्नओवर (अन्य व्यवसाय से) | |
| 8 | कम से कम 2 कर्मचारी उनमे से 1 तकनीकी के रूप में दक्ष हो। संयंत्र/उपकरणों के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु | |
| 9 | यदि पूर्व से अक्षय ऊर्जा संयंत्रों/उपकरणों से संबंधित कार्य किया जा रहा है तो उसका विवरण टर्न औवर के साथ दस्तावेज संलग्न करें | |
| 10 | सुविधाएँ टेलीफोन इत्यादि दस्तावेजों की सूची संलग्न करें | |

आवेदक के हस्ताक्षर

// घोषणा //

मेरे द्वारा म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम द्वारा जारी नियम एवं शर्ते पढ़ ली गयी हैं, एवं मैं
एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि, उपरोक्त आवेदन में दी जानकारी नियम व शर्तों के अनुरूप है
व मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य व सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम

पूरा पता

आवेदन पत्र का मूल्य रूपये 500 मात्र

आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र क्रय की रसीद, वेवसाइड से डाउनलोड करने पर रूपये 500 का डी.डी. मध्यप्रदेश
ऊर्जा विकास निगम लि० के पक्ष में संबंधित जिला अक्षय ऊर्जा कार्यालय के जिले के नाम देय हो संलग्न करें। उपरोक्त
आवेदन के साथ संलग्न एपेंडिक्स 3(बी) व अन्य दस्तावेज संबंधित जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, म0प्र0 ऊर्जा विकास
निगम कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करें।

विकास खण्ड स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप की स्थापना हेतु प्रस्ताव का प्रपत्र

- 1 प्रस्तावित शॉप का नाम –

- 2 स्थापित की जाने वाली शॉप के स्थल का पूर्ण पता –

- 3 शॉप स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम –

- 4 आवेदित व्यक्ति का वर्तमान पता, दूरभाष, फैक्स एवं ई-मेल –

- 5 आवेदित व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता –

- 6 आवेदित व्यक्ति की वित्तीय क्षमता –

- 7 स्थापित की जाने वाली शॉप का विवरण :
 - क्या शॉप कंस्ट्रैक्टेड / परचेच्ड / रेनोवेटेड / लीज / किराये पर है
 - प्रस्तावित करपेट एरिया (वर्ग फीट)
 - प्रस्तावित भण्डारण क्षमता (वर्ग फीट)
 - शॉप को स्थापित करने पर संभावित व्यय का विवरण (आईटम वार)
 - बैंक / संस्था से ऋण का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है। मैंने म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम द्वारा जारी नियम एवं शर्तें पढ़ ली हैं, एवं मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि, उपरोक्त आवेदन में दी जानकारी नियम व शर्तों के अनुरूप है व मुझे स्वीकार्य है।

स्थल –

दिनांक –

(अक्षय ऊर्जा शॉप हेतु आवेदनकर्ता के नाम एवं हस्ताक्षर)

विकास खण्ड स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप हेतु दिशा-निर्देश

- 1 अक्षय ऊर्जा शॉप का मुख्य कार्य निम्नानुसार है :
 - विभिन्न अक्षय ऊर्जा संयत्रों/उपकरणों एवं ऊर्जा दक्ष उत्पादों का विक्रय।
 - अक्षय ऊर्जा संयत्रों की मरम्मत, रखरखाव एवं सर्विसिंग।
 - अक्षय ऊर्जा संयत्रों/उत्पादों का प्रचार-प्रसार।
 - अक्षय ऊर्जा उत्पादों को बढ़ावा देना।
- 2 शॉप हेतु न्यूनतम 100 वर्ग फीट का कारपेट एरिया होना आवश्यक है। भण्डारण क्षमता अतिरिक्त होगी। शॉप कन्स्ट्रक्टेड/परचेच्ड/रेनोवेटेड/किराये पर होना चाहिये।
- 3 शॉप शहर के व्यावसायिक मुख्य स्थल पर होना चाहिये।
- 4 शॉप में कम से कम दो कर्मचारी रखना अनिवार्य है, उनमें से एक तकनीकी कार्य में दक्ष हो ताकि संयत्रों के मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य शॉप के माध्यम से किया जा सके।
- 5 शॉप औनर अपने वर्तमान व्यवसाय के साथ अक्षय ऊर्जा शॉप का संचालन कर सकता है।
- 6 शॉप व्यवसायिक रूप से व्यापार योग्य हो। अक्षय ऊर्जा संयत्रों/उपकरणों जैसे सोलर कुकर, सोलर लालटेन, सोलर फोटोवोल्टिक स्ट्रीट लाईट एवं होम लाईट, सोलर वाटर हीटिंग इत्यादि एवं ऊर्जा दक्ष उत्पाद जैसे काम्पेक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, एल.ई.डी. लाईटिंग, हाई इफीशियेंसी केरोसिन स्टोव, बायोमास कुक स्टोव इत्यादि विक्रय किये जा सकते हैं।
- 7 शॉप द्वारा विक्रय/स्थापित किये गये उत्पादों का मरम्मत, रखरखाव एवं सेवा (सर्विसिंग) देना होगा साथ ही अन्य अक्षय ऊर्जा उत्पाद/संयत्रं जो किसी अन्य माध्यम से विक्रय/स्थापित किये गये हैं उन्हें भी मरम्मत, रखरखाव एवं सेवा (सर्विसिंग) देना होगा।
- 8 शॉप द्वारा प्रतिष्ठित निर्माताओं द्वारा उत्पादित किये गये उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उत्पादों/संयत्रों के विभिन्न माडल को प्रदर्शित करना अनिवार्य है जिससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार क्रय कर सके।
- 9 शॉप द्वारा रखे गये विभिन्न उत्पादों/संयत्रों की मूल्य सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
- 10 ग्राहकों की सुविधा हेतु विभिन्न अक्षय ऊर्जा उत्पादों के लिये बैंक से ऋण प्रदाय हेतु लिंकेज स्थापित करना होगा।

अक्षय ऊर्जा शॉप की पात्रता हेतु अन्य शर्तें

- 1 विकास खण्ड स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप के लिये जारी विज्ञापन के तहत केवल एक व्यक्ति/संस्था द्वारा एक ही लोकेशन पर आवेदन करने के पात्र होंगे।
- 2 पूर्व में जिन व्यक्तियों को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार की अक्षय ऊर्जा शॉप कार्यक्रम के तहत म0प्र0 के किसी भी जिले/विकास खण्ड में निजी अक्षय ऊर्जा शॉप का आवंटन किया जा चुका है वह इस योजना के तहत आवेदन के पात्र नहीं होंगे।
- 3 उल्लेखित विकास खण्ड के मुख्य व्यवसायिक स्थल में अक्षय ऊर्जा शॉप खोलना अनिवार्य है। निजी अक्षय ऊर्जा शॉप के व्यावसायिक स्थल का निर्णय गठित समिति निरीक्षण पश्चात करेगी।
- 4 उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त संलग्न वित्तीय प्रक्रियाएं भी उक्त शर्तों का भाग होंगी।
- 5 चयनित अक्षय ऊर्जा शॉप को प्रतिष्ठित कम्पनी के उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उत्पादों एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों के विभिन्न माडल का न्यूनतम स्टाक प्रदर्शन हेतु शॉप में रखना होगा जिसकी सूची संलग्न है।

विकास खण्ड स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप में विक्रय की जाने वाली सामग्री हेतु वित्तीय प्रक्रियाओं का निम्नानुसार परिपालन आवश्यक होगा।

1. अक्षय ऊर्जा शॉप द्वारा अक्षय ऊर्जा से संबंधित तथा ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का ही विक्रय, सामग्री की स्थापना एवं कमीशनिंग जहाँ आवश्यक होगा किया जावेगा।
2. उक्त शॉप द्वारा उपरोक्त सामग्रियों की मरम्मत इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था की जानी होगी।
3. अक्षय ऊर्जा शॉप की स्थापना हेतु प्रोप्राइटर/शॉपऑनर का वाणिज्य कर विभाग से टिन नम्बर व सर्विस टेक्स हेतु रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त आयकर विभाग का पेन (PAN) एवं टान (TAN) भी होना आवश्यक होगा।
4. अक्षय ऊर्जा शॉप में पृथक से दूरभाष की व्यवस्था की जानी होगी, इसके अतिरिक्त विद्युत देयक, मेनपावर एवं विविध व्ययों की जानकारी पृथक से संधारित की जानी होगी।
5. सामग्रियों के विक्रय हेतु आवश्यक केश मेमो एवं बिल प्रोप्राइटर/शॉपऑनर द्वारा आवश्यक रूप से जारी किये जावेंगे, जिस पर टिन एवं सर्विस टेक्स का रजिस्ट्रेशन क्रमांक दर्शित होना आवश्यक है, उक्त पर निगम के नाम का कहीं भी उल्लेख न हो।
6. क्रय पंजी, विक्रय पंजी, लेजर स्टाक रजिस्टर इत्यादि संधारित किया जाना आवश्यक होगा।
7. उक्त शॉप में होने वाले लेन-देन हेतु एक पृथक से बैंक खाता खोला जाना होगा जिसमें केवल उपरोक्त सामग्री से संबंधित लेन-देन की राशि आहरित एवं जमा की जासकेगी।
विक्रय पश्चात विक्रय की सभी औपचारिकतायें जैसे सामग्री की गारंटी एवं नियम अनुसार वैधानिक करों की कटौती एवं संबंधित विभागों में जमा करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उत्तरदायित्व प्रोप्राइटर/शॉपऑनर का होगा।
8. किसी भी दशा में उक्त लेन-देन निगम का नहीं माना जावेगा।
9. निगम के सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना राज्य शासन/केन्द्र शासन का अनुदान उपरोक्त सामग्रियों पर नहीं दिया जा सकेगा।
10. शॉप द्वारा संधारित किये जाने वाले लेखों का निरीक्षण समय-समय पर डी.आर.ई.ओ./लेखा प्रभारी द्वारा किया जावेगा एवं इनका मासिक अंकेक्षण चार्टड एकाउटेन्स से कराकर प्रतिवेदन डी.आर.ई.ओ. को देगा एवं डी.आर.ई.ओ./लेखा प्रभारी द्वारा परीक्षण कर मुख्यालय में संबंधित कक्ष को प्रस्तुत किया जावेगा।
11. परिशिष्ट III D में अंकित विवरण भरकर संबंधित डी.आर.ई.ओ., शॉप औनर एवं चार्टड एकाउन्टेड के हस्ताक्षर उपरांत मुख्यालय के संबंधित कक्ष को प्रेषित किया जावेगा उक्त शॉप में होने वाली सम्पूर्ण गतिविधियों का निरीक्षण समय-समय पर डी.आर.ई.ओ. द्वारा किया जावेगा जिस हेतु डी.आर.ई.ओ. पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
12. शॉप से विक्रय की जाने वाली सामग्रियों के दरों का प्रदर्शन दिशा निर्देशों अनुसार किया जाना होगा।

विकास खण्ड स्तरीय निजी अक्षय ऊर्जा शॉप की चयन प्रक्रिया

| क्र. | विवरण | अंक |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | स्वयं की शॉप | 10 |
| 2 | न्यूनतम 100 वर्ग फीट क्षेत्रफल शॉप | 20 |
| 3 | भण्डारण क्षमता 100 वर्ग फीट शॉप के अलावा | 10 |
| 4 | मुख्य व्यावसायिक स्थल में शॉप | 15 |
| 5 | यदि पूर्व से अक्षय ऊर्जा से संबंधित कार्य किया जा रहा है | 15 |
| 6 | विगत 3 वर्षों का टर्न और्हर अन्य व्यवसाय से | 5 |
| 7 | कम से कम दो कर्मचारी उनमें से एक तकनीकी रूप से दक्ष (मरम्मत एवं रखरखाव हेतु) | 15 |
| 8 | सुविधाये टेलीफोन/कम्प्यूटर/फैक्स एवं अन्य | 10 |
| | कुल | 100 |

- टीप –** 1 किराये की शॉप अथवा लीज पर होने पर आवेदित शॉप 5 अंक के पात्र होंगे।
 2 यदि कुल प्राप्तांक (परीक्षण उपरांत) सामान होते हैं तो लाटरी के माध्यम से शॉप का चयन किया जावेगा।
 3 उपरोक्तानुसार अंकों की प्राप्ती के सत्यापन हेतु उल्लेखित बिन्दुवार दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।

**विकास खण्ड स्तरीय निजी अक्षय ऊर्जा शॉप में प्रदर्शन हेतु
संयत्रों/उपकरणों की न्यूनतम स्टाक सूची**

| | | |
|---|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | सोलर कुकर | विभिन्न माडल के 1–2 नग |
| 2 | सौर गरम जल संयत्र न्यूनतम 100 लीटर क्षमता | 1 नग ETC 1 नग Flate Plate |
| 3 | सोलर लालटेन न्यूनतम दो माडल एक CFL, एक LED | 2 नग |
| 4 | सोलर होम लाईट संयत्र 2 / 3 CFL | 1 नग |
| 5 | ऊर्जा दक्ष उपकरण CFL, LED एवं अन्य | न्यूनतम 4–5 नग |
| 6 | सोलर स्ट्रीट लाईट | 1 नग |
| 7 | उपरोक्त के अलावा अन्य ऊर्जा दक्ष उपकरण | विभिन्न माडल के न्यूनतम 1–2 नग प्रत्येक |

म0प्र0 अक्षय ऊर्जा शॉप योजना (विकास खण्ड स्तरीय शॉप)

उद्देश्य :

प्रदेश में बिजली की माँग एवं प्रदाय के बीच के अंतर को कम करने के लिए, गांव—गांव एवं आम जनता तक विभिन्न अक्षय ऊर्जा संयत्रों/उपकरणों एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों जैसे—सोलर कुकर, सोलर लालटेन, सौर गर्म जल संयत्र, सौर लाईट इत्यादि पहुंच सके, व इसका फायदा ग्रामीणों को मिल सके, इस उद्देश्य को वृष्टिगत रखते हुए, प्रत्येक विकास खण्डों पर निजी अक्षय ऊर्जा शॉप खोले जाने की योजना है। विकास खण्ड स्तर पर निजी शॉप खुलने से जहाँ एक ओर अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में आम जनता लाभान्वित होगी वही दूसरी ओर रोजगार की दिशा में एक प्रभावी कदम होगा।

लाभ :

- आम जन को अक्षय ऊर्जा संयत्र/उपकरण एवं ऊर्जा दक्ष उपकरण आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।
- अक्षय ऊर्जा संयत्रों के बारे में आम जनता को ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।
- संयत्रों के विक्रय पश्चात् की सेवा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
- स्कूल/कॉलेज के विद्यार्थियों को संयत्रों व नई—नई तकनीक के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा।
- शिक्षित बेरोजगारों द्वारा स्वयं के व्यवसाय प्रारंभ करने में मदद मिलेगी।

संचालन एवं क्रियान्वयन :

- राज्य शासन की मंशा के अनुरूप, विकास खण्ड स्तर पर निजी अक्षय ऊर्जा शॉप का संचालन, म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम द्वारा किया जावेगा।
- म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम के अधीन जिला अक्षय कार्यालय के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा।

चयन प्रक्रिया :

- दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम दुकानों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जावेगा।
- विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे एवं प्राप्त प्रस्तावों को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर चयन किया जायेगा।
- जो उद्यमी है, स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं अथवा अपने व्यवसाय के साथ इस योजना में भागीदारी बन सकते हैं।

आवश्यक मापदंड :

- दुकान हेतु न्यूनतम 100 वर्ग फीट कारपेट एरिया होना आवश्यक है। भण्डारण क्षमता अतिरिक्त होगी।
- शॉप स्वयं/लीज/किराये की होनी चाहिए। स्वयं की दुकान एवं मुख्य बाजार पर होने पर वरीयता दी जावेगी।
- दुकान में न्यूनतम 02 कर्मचारी होना आवश्यक है जिनमें से एक तकनीकी कार्य में दक्ष हो।
- स्वयं का टेलीफोन होना अनिवार्य है।
- अक्षय ऊर्जा संयत्रों/उपकरणों से संबंधित पूर्व से कार्य करने वालों को प्राथमिकता।

राज्य शासन द्वारा वित्तीय प्रावधान :

- प्रस्तावित निजी अक्षय ऊर्जा शॉप के स्थापित होने के उपरान्त 01 वर्ष तक के लिए राज्य शासन का वित्तीय प्रावधान होगा एवं योजना के मूल्यांकन के पश्चात् प्रभावकारी पाए जाने पर अगले और 01 वर्ष हेतु वित्तीय प्रावधान जारी रखने पर विचार किया जा सकता है।
- प्रथम वर्ष में न्यूनतम रु. 30,000/- प्रतिमाह के टर्न ओवर पर रु. 5000/- प्रोत्साहन राशि व रु. 5000/- रिकरिंग ग्रांट प्रतिमाह, शॉप खुलने की तिथि से 01 वर्ष तक दी जावेगी।
- रिकरिंग ग्रांट से तात्पर्य, अक्षय ऊर्जा शॉप के अन्तर्गत मैनपावर, बिजली, टेलीफोन एवं अन्य विविध व्यय की प्रतिपूर्ति से है।
- यदि प्रथम वर्ष में अक्षय ऊर्जा शॉप का टर्न ओवर निर्धारित न्यूनतम रु. 30,000/- प्रतिमाह, किसी माह में नहीं हो पाता है तो सम्बन्धित शॉप को उस माह की प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होगी किन्तु यदि तीन माह का टर्न ओवर न्यूनतम रु. 45,000/- है तो सम्बन्धित शॉप रिकरिंग ग्रांट हेतु पात्र होंगी।
- निर्धारित प्रपत्र पर शर्तों के अनुसार, टर्न ओवर प्रेषित करने व सत्यापन के पश्चात् प्रत्येक 03 माह पश्चात, प्रोत्साहन राशि व रिकरिंग ग्रांट की पात्रता होगी।
- ग्रामीण इलाकों में व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए रु. 10,000/- प्रति शॉप का प्रावधान होगा।
- म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम को सेवा शुल्क के रूप में रु. 10,000/- प्रति शॉप का प्रावधान होगा जो योजना के विकास खण्ड स्तर पर संचालन/क्रियान्वयन इत्यादि में व्यय होगा।

- उक्त विकास खण्डों के शॉप संचालकों एवं उनके तकनीकी कर्मियों इत्यादि के प्रशिक्षण हेतु रु. 5,000.00 प्रति शॉप का प्रावधान होगा। पूर्व में स्वीकृत 100 विकास खण्डों हेतु प्रशिक्षण के राशि की स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी अतः उक्त विकास खण्डों को सम्मिलित करते हुए कुल 263 (163+100) विकास खण्डों हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।

योजना की समीक्षा :

प्रत्येक तीन माह में योजना की समीक्षा की जावेगी। जिन विकास खण्डों में अक्षय ऊर्जा शॉप का टर्न ओवर, निर्धारित से भी कम है उन शॉप्स को चिन्हित किया जाकर, निगम द्वारा कारणों की समीक्षा की जायेगी व तदनुसार निर्णय लिया जावेगा।



मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि०

(राज्य शासन का उपक्रम)

“ऊर्जा भवन”, मेन रोड नं. 2, शिवाजी नगर, भोपाल

संभागीय जिलामें निजी अक्षय ऊर्जा शॉप की स्थापना हेतु आवेदन पत्र एवं
विवरण

// आवेदन पत्र //

- | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1 | आवेदक का नाम | |
| 2 | आवेदक की शैक्षणिक योग्यता (दस्तावेज संलग्न करें) | |
| 3 | शॉप का नाम एवं लोकेशन (मार्केट का पता) | |
| 4 | शॉप का विवरण (स्वयं/किराये पर/लीज पर) (दस्तावेज संलग्न करें) | |
| 5 | क्षेत्रफल.....(नक्शा एवं दस्तावेज इत्यादि) |वर्गफिट |
| 6 | भंडारण क्षमता.....(नक्शा एवं दस्तावेज इत्यादि) |वर्गफिट |
| 7 | पूर्व वर्ष में टर्नओवर अन्य व्यवसाय से (दस्तावेज संलग्न करें) | |
| 8 | कम से कम 2 कर्मचारी उनमे से 1 तकनीकी रूप से दक्ष संयंत्र/उपकरणों के मरम्मत एवं रखरखाव हेतु (तकनीकी प्रमाण पत्र संलग्न करें) | |
| 9 | यदि पूर्व से अक्षय ऊर्जा संयंत्रों/उपकरणों से संबंधित कार्य किया जा रहा है तो उसका विवरण टर्न औवर के साथ दस्तावेज संलग्न करें | |
| 10 | सुविधाएँ – टेलीफोन/कम्प्यूटर/फैक्स इत्यादि (दस्तावेज व सूची संलग्न करें) | |

आवेदक के हस्ताक्षर

// घोषणा //

मेरे द्वारा म०प्र० ऊर्जा विकास निगम द्वारा जारी नियम एवं शर्तें पढ़ ली गयी हैं, एवं मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि, उपरोक्त आवेदन में दी जानकारी नियम व शर्तों के अनुरूप है व मेरे द्वारा दी गई जानकारी सत्य व सही है।

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम

पूरा पता

आवेदन पत्र का मूल्य रूपये 1000 मात्र

आवेदन पत्र के साथ आवेदन पत्र क्रय की रसीद, वेवसाइड से डाउनलोड करने पर रूपये 1000 का डी.डी. मध्यप्रदेश ऊर्जा विकास निगम लि० के पक्ष में संबंधित जिला अक्षय ऊर्जा कार्यालय के जिले के नाम देय हो संलग्न करें। उपरोक्त आवेदन के साथ संलग्न एपेंडिक्स 3(बी) व अन्य दस्तावेज संबंधित जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी, म०प्र० ऊर्जा विकास निगम कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करें।

संभागीय जिला स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप की स्थापना हेतु प्रस्ताव का प्रपत्र

- 1 प्रस्तावित शॉप का नाम –

- 2 स्थापित की जाने वाली शॉप के स्थल का पूर्ण पता –

- 3 शॉप स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम –

- 4 आवेदित व्यक्ति का वर्तमान पता, दूरभाष, फैक्स एवं ई-मेल –

- 5 आवेदित व्यक्ति की शैक्षणिक योग्यता –

- 6 आवेदित व्यक्ति की वित्तीय क्षमता –

- 7 स्थापित की जाने वाली शॉप का विवरण :
 - क्या शॉप कंस्ट्रक्टेड/परचेच्ड/रेनोवेटेड/लीज/किराये पर है
 - प्रस्तावित कवर्ड एरिया (वर्ग फीट)
 - प्रस्तावित भण्डारण क्षमता (वर्ग फीट)
 - शॉप को स्थापित करने पर संभावित व्यय का विवरण (आईटम वार)
 - बैंक/संस्था से ऋण का विवरण

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य एवं सही है। मैंने म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम द्वारा जारी नियम एवं शर्तें पढ़ ली हैं, एवं मैं एतद द्वारा घोषणा करता हूँ कि, उपरोक्त आवेदन में दी जानकारी नियम व शर्तों के अनुरूप है व मुझे स्वीकार्य है।

स्थल –

दिनांक –

(अक्षय ऊर्जा शॉप हेतु आवेदनकर्ता के नाम एवं हस्ताक्षर)

जिला स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप हेतु दिशा-निर्देश

- 1 अक्षय ऊर्जा शॉप का मुख्य कार्य निम्नानुसार है :
 - विभिन्न अक्षय ऊर्जा संयत्रों/उपकरणों एवं ऊर्जा दक्ष उत्पादों का विक्रय।
 - अक्षय ऊर्जा संयत्रों की मरम्मत, रखरखाव एवं सर्विसिंग।
 - अक्षय ऊर्जा संयत्रों/उत्पादों का प्रचार-प्रसार।
 - अक्षय ऊर्जा उत्पादों को बढ़ावा देना।
- 2 शॉप हेतु न्यूनतम 200 वर्ग फीट का कारपेट एरिया होना आवश्यक है। भण्डारण क्षमता अतिरिक्त होगी। शॉप कन्स्ट्रक्टेड/परचेच्ड/रेनोवेटेड/किराये पर होना चाहिये।
- 3 शॉप शहर के व्यावसायिक मुख्य स्थल पर होना चाहिये।
- 4 शॉप में कम से कम दो कर्मचारी रखना अनिवार्य है, उनमें से एक तकनीकी कार्य में दक्ष हो ताकि संयत्रों के मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य शॉप के माध्यम से किया जा सके।
- 5 शॉप औनर अपने वर्तमान व्यवसाय के साथ अक्षय ऊर्जा शॉप का संचालन कर सकता है।
- 6 शॉप व्यवसायिक रूप से व्यापार योग्य हो। अक्षय ऊर्जा संयत्रों/उपकरणों जैसे सोलर कुकर, सोलर लालटेन, सोलर फोटोवोल्टिक स्ट्रीट लाईट एवं होम लाईट, सोलर वाटर हीटर, सोलर मल्टी परपज लैम्प, सोलर टार्च, सोलर मोबाइल चार्जर इत्यादि एवं ऊर्जा दक्ष उत्पाद जैसे काम्पेक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, एल.ई.डी. लाईटिंग, हाई इफीशियेंसी केरोसिन स्टोव, बायोमास कुक स्टोव इत्यादि विक्रय किये जा सकते हैं।
- 7 शॉप द्वारा विक्रय/स्थापित किये गये उत्पादों का मरम्मत, रखरखाव एवं सेवा (सर्विसिंग) देना होगा साथ ही अन्य अक्षय ऊर्जा उत्पाद/संयत्रं जो किसी अन्य माध्यम से विक्रय/स्थापित किये गये हैं उन्हें भी मरम्मत, रखरखाव एवं सेवा (सर्विसिंग) देना होगा।
- 8 शॉप द्वारा विभिन्न निर्माताओं द्वारा उत्पादित किये गये उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उत्पादों/संयत्रों के विभिन्न माडल को प्रदर्शित करना अनिवार्य है जिससे ग्राहक अपनी पसंद के अनुसार क्रय कर सके।
- 9 शॉप द्वारा रखे गये विभिन्न उत्पादों/संयत्रों की मूल्य सूची प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
- 10 ग्राहकों की सुविधा हेतु विभिन्न अक्षय ऊर्जा उत्पादों के लिये बैंक से ऋण प्रदाय हेतु लिंकेज स्थापित करना होगा।
- 11 शॉप द्वारा 8'x3' आकार का ग्लोसाइन बोर्ड स्थापित करना अनिवार्य होगा जिस पर शॉप के नाम के साथ अक्षय ऊर्जा शॉप लिखा होना आवश्यक है।
- 12 चयनित अक्षय ऊर्जा शॉप को प्रतिष्ठित कम्पनी के उत्कृष्ट अक्षय ऊर्जा उत्पादों एवं ऊर्जा दक्ष उपकरणों के विभिन्न माडल का न्यूनतम स्टाक प्रदर्शन हेतु शॉप में रखना होगा जिसकी सूची संलग्न है तथा विक्रय हेतु स्कंध पृथक से रखना होगा।

अक्षय ऊर्जा शॉप की पात्रता हेतु अन्य शर्तें

- 1 संभागीय जिला स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप के लिये जारी विज्ञापन के तहत केवल एक व्यक्ति / संस्था द्वारा एक ही लोकेशन पर आवेदन करने के पात्र होगे।
- 2 पूर्व में जिन व्यक्तियों/संस्थाओं को नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार/विकास खण्ड स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप की अक्षय ऊर्जा शॉप कार्यक्रम के तहत M0PRO के किसी भी जिले/विकास खण्ड में निजी अक्षय ऊर्जा शॉप का आवंटन किया जा चुका है वह इस योजना के तहत आवेदन के पात्र नहीं होगे।
- 3 उल्लेखित जिलें के मुख्य व्यावसायिक स्थल (अधिकतम आधा किलो मीटर परिधि) में अक्षय ऊर्जा शॉप खोलना अनिवार्य है। निजी अक्षय ऊर्जा शॉप के व्यावसायिक स्थल का निर्णय गठित समिति निरीक्षण पश्चात करेगी।
- 4 उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त संलग्न वित्तीय प्रक्रियाएँ व शर्तें भी उक्त शर्तों का भाग होगी।

**संभागीय जिला स्तरीय निजी अक्षय ऊर्जा शॉप में प्रदर्शन हेतु
संयत्रों/उपकरणों की न्यूनतम स्टाक सूची**

| | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 1 | सोलर कुकर | विभिन्न माडल के 1-2 नग |
| 2 | सौर गरम जल संयत्र न्यूनतम 100 लीटर क्षमता | 1 नग ETC 1 नग Flate Plate |
| 3 | सोलर लालटेन न्यूनतम दो माडल एक CFL, एक LED | 2 नग |
| 4 | सोलर होम लाईट संयत्र 2/3 CFL & LED | 1 नग |
| 5 | ऊर्जा दक्ष उपकरण CFL, LED एवं अन्य | न्यूनतम 4-5 नग |
| 6 | सोलर स्ट्रीट लाईट LED | 1 नग |
| 7 | उपरोक्त के अलावा अन्य ऊर्जा दक्ष उपकरण जैसे बायोमास कुक स्टोव, सोलर टार्च, सोलर मोबाइल चार्जर, सोलर मल्टी परपज लैम्प इत्यादि | विभिन्न माडल के न्यूनतम 1-2 नग प्रत्येक |

संभागीय जिला स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप में विक्रय की जाने वाली सामग्री हेतु वित्तीय प्रक्रियाए

2. अक्षय ऊर्जा शॉप द्वारा अक्षय ऊर्जा से संबंधित तथा ऊर्जा बचत करने वाले उपकरणों का ही विक्रय, सामग्री की स्थापना एवं कमीशनिंग जहाँ आवश्यक होगा किया जावेगा।
2. उक्त शॉप द्वारा उपरोक्त सामग्रियों की मरम्मत इत्यादि की भी समुचित व्यवस्था की जानी होगी।
3. अक्षय ऊर्जा शॉप की स्थापना हेतु प्रोप्राइटर/शॉपऑनर का वाणिज्य कर विभाग से टिन नम्बर व सर्विस टेक्स हेतु रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, इसके अतिरिक्त आयकर विभाग का पेन (PAN) एवं टान (TAN) भी होना आवश्यक होगा।
4. अक्षय ऊर्जा शॉप में पृथक से दूरभाष की व्यवस्था की जानी होगी, इसके अतिरिक्त विद्युत देयक, मेनपावर एवं विविध व्ययों की जानकारी पृथक से संधारित की जानी होगी।
5. सामग्रियों के विक्रय हेतु आवश्यक केश मेमो एवं बिल प्रोप्राइटर/शॉपआनर द्वारा आवश्यक रूप से जारी किये जावेंगे, जिस पर टिन एवं सर्विस टेक्स का रजिस्ट्रेशन क्रमांक दर्शित होना आवश्यक है, उक्त पर निगम के नाम का कहीं भी उल्लेख न हो।
6. क्रय पंजी, विक्रय पंजी, लेजर स्टाक रजिस्टर इत्यादि संधारित किया जाना आवश्यक होगा।
7. उक्त शॉप में होने वाले लेन-देन हेतु एक पृथक से बैंक खाता खोला जाना होगा जिसमें केवल उपरोक्त सामग्री से संबंधित लेन-देन की राशि आहरित एवं जमा की जा सकेगी।
विक्रय पश्चात विक्रय की सभी औपचारिकतायें जैसे सामग्री की गारंटी एवं नियम अनुसार वैधानिक करों की कटौती एवं संबंधित विभागों में जमा करने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उत्तरदायित्व प्रोप्राइटर/शॉपऑनर का होगा।
8. किसी भी दशा में उक्त लेन-देन निगम का नहीं माना जावेगा एवं किसी भी उपकरण/संयंत्र के विक्रय के समय/विक्रय पश्चात् दरों एवं शिकायत के संबंध में शॉप संचालक पूर्ण रूप से उत्तरदाई होंगे।
9. निगम के सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना राज्य शासन/केन्द्र शासन का अनुदान उपरोक्त सामग्रियों पर नहीं दिया जा सकेगा।
10. शॉप द्वारा संधारित किये जाने वाले लेखों का निरीक्षण समय—समय पर डी.आर.ई.ओ./लेखा प्रभारी द्वारा किया जावेगा एवं इनका मासिक अंकेक्षण चार्टड एकाउटेन्स से कराकर प्रतिवेदन डी.आर.ई.ओ. को देगा एवं डी.आर.ई.ओ./लेखा प्रभारी द्वारा परीक्षण कर मुख्यालय में संबंधित कक्ष को प्रस्तुत किया जावेगा।
11. परिशिष्ट III D में अंकित विवरण भरकर संबंधित डी.आर.ई.ओ., शॉप ऑनर एवं चार्टड एकाउन्टेड के हस्ताक्षर उपरांत मुख्यालय के संबंधित कक्ष को प्रेषित किया जावेगा उक्त शॉप में होने वाली सम्पूर्ण गतिविधियों का निरीक्षण समय—समय पर डी.आर.ई.ओ. द्वारा किया जावेगा जिस हेतु डी.आर.ई.ओ. पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
12. शॉप से विक्रय की जाने वाली सामग्रियों के दरों का प्रदर्शन दिशा निर्देशों अनुसार किया जाना होगा।
13. समय—समय पर शासन द्वारा जारी किए गए/किए जाने वाले आदेशों का पालन करना होगा।

जिला स्तरीय निजी अक्षय ऊर्जा शॉप की चयन प्रक्रिया

| क्र. | विवरण | अंक |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | स्वयं की शॉप | 10 |
| 2 | न्यूनतम 200 वर्ग फीट क्षेत्रफल शॉप | 20 |
| 3 | भण्डारण क्षमता 200 वर्ग फीट शॉप के अलावा | 10 |
| 4 | मुख्य व्यावसायिक स्थल में शॉप | 15 |
| 5 | यदि पूर्व से अक्षय ऊर्जा से संबंधित कार्य किया जा रहा है | 15 |
| 6 | विगत 3 वर्षों का टर्न और अन्य व्यवसाय से | 5 |
| 7 | कम से कम दो कर्मचारी उनमें से एक तकनीकी रूप से दक्ष (मरम्मत एवं रखरखाव हेतु) | 15 |
| 8 | सुविधाये टेलीफोन/कम्प्यूटर/फैक्स एवं अन्य | 10 |
| | कुल | 100 |

टीप – 1 किराये की शॉप अथवा लीज पर होने पर आवेदित शॉप 5 अंक के पात्र होंगे।

2 यदि दस्तावेजों व स्थल के सत्यापन पश्चात् कुल प्राप्तांक सामान होते हैं तो लाटरी के माध्यम से शॉप का चयन किया जावेगा।

3 उपरोक्तानुसार अंकों की प्राप्ती के सत्यापन हेतु उल्लेखित बिन्दुवार दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।

संभाग स्तरीय अक्षय ऊर्जा शॉप योजना

उद्देश्य :

शहरीय क्षेत्रों का आकार एवं क्षेत्रफल बढ़ा होने के कारण तथा ऊर्जा की खपत बढ़ने के कारण यह आवश्यकता महसूस की गई कि संभागीय स्तर के जिलों में (नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व से संचालित 01 शॉप के अतिरिक्त) अक्षय ऊर्जा शॉप का विस्तार किया जावे जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अक्षय ऊर्जा व ऊर्जा दक्ष संयत्रों/उपकरणों से लाभ प्राप्त हो सके तथा उन्हे संयत्र/उपकरण आसानी से उपलब्ध हो सके। इसी उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए संभागीय स्तर के जिलों में अतिरिक्त रूप से निजी अक्षय ऊर्जा शॉप प्रस्तावित है।

संभागीय जिले के अंतर्गत अतिरिक्त शॉप :

संभागीय स्तर के जिलों में 01–01 शॉप, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पूर्व से ही संचालित है। संभागीय जिले व उनके तहत निजी अक्षय ऊर्जा शॉप को उनके आकार व क्षेत्रफल तथा आवश्यकतानुसार निम्नानुसार प्रस्तावित है।

| | | |
|-------------|---|--------|
| 1. भोपाल | — | 04 शॉप |
| 2. इंदौर | — | 04 शॉप |
| 3. ग्वालियर | — | 02 शॉप |
| 4. जबलपुर | — | 02 शॉप |
| 5. रीवा | — | 01 शॉप |
| 6. उज्जैन | — | 01 शॉप |
| 7. सागर | — | 01 शॉप |
| | | |
| कुल | | 15 शॉप |

लाभ :

- आम जन को अक्षय ऊर्जा संयत्र/उपकरण एवं ऊर्जा दक्ष उपकरण आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे।
- अक्षय ऊर्जा संयत्रों के बारे में आम जनता को ज्ञान प्राप्त हो सकेगा।
- संयत्रों के विक्रय पश्चात् की सेवा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी।
- स्कूल/कॉलेज के विद्यार्थियों को संयत्रों व नई–नई तकनीक के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त हो सकेगा।
- शिक्षित बेरोजगारों द्वारा स्वयं के व्यवसाय प्रारंभ करने में मदद मिलेगी।

संचालन एवं क्रियान्वयन :

- निजी अक्षय ऊर्जा शॉप का संचालन, म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम द्वारा किया जावेगा।
- म0प्र0 ऊर्जा विकास निगम के अधीन जिला अक्षय कार्यालय के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जावेगा।

चयन प्रक्रिया :

- दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम दुकानों का चयन पारदर्शी प्रक्रिया के तहत किया जावेगा।
- विज्ञापन के माध्यम से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे एवं प्राप्त प्रस्तावों को निर्धारित मापदण्डों के आधार पर चयन किया जायेगा।
- जो उद्यमी है, स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं अथवा अपने व्यवसाय के साथ इस योजना में भागीदारी बन सकते हैं।
- स्थल का चयन शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार किया जावेगा जिससे आम-जन को अक्षय ऊर्जा व ऊर्जा दक्ष संयत्र/उपकरण आसानी से उपलब्ध हो सकें।

आवश्यक मापदंड :

- दुकान हेतु न्यूनतम 200 वर्ग फीट कारपेट एरिया होना आवश्यक है। भण्डारण क्षमता अतिरिक्त होगी।
- शॉप स्वयं/किराये की होनी चाहिए। स्वयं की एवं मुख्य बाजार पर होने पर वरीयता दी जावेगी।
- दुकान में न्यूनतम 02 कर्मचारी होना आवश्यक है जिनमें से एक तकनीकी कार्य में दक्ष हो।
- स्वयं का टेलीफोन होना अनिवार्य है।
- अक्षय ऊर्जा संयत्रों/उपकरणों से संबंधित पूर्व से कार्य करने वालों को प्राथमिकता।

वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 :

संभागीय स्तर पर अतिरिक्त 15 निजी अक्षय ऊर्जा शॉप का चयन कर क्रियान्वित किया जावेगा। किसी कारणवश निर्धारित लक्ष्य से कम निजी अक्षय ऊर्जा शॉप का चयन होने से अगले वित्तीय वर्ष 2013–14 में उन्हें सम्मिलित किया जायेगा।

वित्तीय प्रावधान :

- प्रस्तावित निजी अक्षय ऊर्जा शॉप के स्थापित होने के उपरान्त 01 वर्ष तक के लिए म0प्र0 शासन द्वारा आवंटित बजट के अन्तर्गत वित्तीय प्रावधान होगा।
- प्रथम वर्ष में न्यूनतम रु. 50,000/- प्रतिमाह के टर्न ओवर पर रु. 5000/- प्रोत्साहन राशि व रु. 5000/- रिकरिंग ग्रांट प्रतिमाह दी जावेगी।
- रिकरिंग ग्रांट से तात्पर्य, अक्षय ऊर्जा शॉप के अन्तर्गत मैनपावर, बिजली, टेलीफोन एवं अन्य विविध व्यय की प्रतिपूर्ति से है।
- यदि अक्षय ऊर्जा शॉप का टर्न ओवर निर्धारित न्यूनतम रु. 50,000/- प्रतिमाह, किसी माह में नहीं हो पाता है तो सम्बन्धित शॉप को उस माह की प्रोत्साहन राशि की पात्रता नहीं होगी किन्तु यदि 06 माह का टर्न ओवर न्यूनतम रु. 150,000/-है तो सम्बन्धित शॉप रिकरिंग ग्रांट हेतु पात्र होंगी।
- निर्धारित प्रपत्र पर टर्न ओवर प्रेषित करने व सत्यापन के पश्चात् प्रत्येक 06 माह पश्चात्, प्रोत्साहन राशि व रिकरिंग ग्रांट की पात्रता होगी।

योजना की समीक्षा :

प्रत्येक तीन माह में योजना की समीक्षा की जावेगी। न्यूनतम टर्न ओवर वाली अक्षय ऊर्जा शॉप को चिन्हित किया जाकर निगम द्वारा निर्धारित प्रतिमाह टर्न ओवर लक्ष्य नहीं प्राप्त करने के कारणों की समीक्षा की जायेगी।